सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **582** राँची, सोमवार, **1 पौष, 1937 (श०)**

21 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

4 दिसम्बर, 2015

1. उपायुक्त, गोड्डा का पत्रांक-1038, दिनांक 2 अगस्त, 2014 एवं पत्रांक-671, दिनांक 27 मई, 2015

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-9084, दिनांक 9 सितम्बर, 2014 एवं पत्रांक-10763, दिनांक 10 नवम्बर, 2014

संख्या-5/आरोप-1-679/2014 का०-10248--श्री शफीक आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- दुमका), तत्कालीन प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी, गोड्डा के विरूद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-1038, दिनांक 2 अगस्त, 2014 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है । प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के आदेश सं०-68/2013, दिनांक 25 सितम्बर, 2013 के द्वारा श्री प्रमोद कुमार झा, सेवानिवृत, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता , ठाकुरगंगटी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र- 'क' गठित कर निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा को संचालन पदाधिकारी तथा प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय कार्यवाही का उपस्थापन पदाधिकारी होने के कारण आपको निम्नांकित तिथियों को संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सरकारी पक्ष रखने का निदेश दिया गया, जो निम्न प्रकार है-

(क) निदेशक, लेखा प्रशासन-सह-संचालन पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ने पत्रांक-1772/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के सुनवाई हेतु दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 को 11:00 बजे पूर्वाह्न् निर्धारित करते हुए प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी को निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर सरकारी पक्ष रखने का निदेश दिया गया। परन्तु श्री शफीक आलम प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी उपस्थित नहीं हुए ।

(ख) पुनः निदेशक, लेखा प्रशासन-सह-संचालन पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ने पत्रांक-1870/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की सुनवाई दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को 11:00 बजे पूर्वाह्न् निर्धारित करते हुए प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी को निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर सरकारी पक्ष रखने का निदेश दिया गया । परन्तु श्री शफीक आलम प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी उपस्थित नहीं हुए ।

(ग) पुनः निदेशक, लेखा प्रशासन-सह-संचालन पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ने पत्रांक-1195/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की सुनवाई हेतु दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को 11:00 बजे पूर्वाह्न् निर्धारित करते हुए प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी को निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर सरकारी पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया । परन्तु श्री शफीक आलम प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी उपस्थित नहीं हुए ।

(घ) पुनः निदेशक, लेखा प्रशासन-सह-संचालन पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ने पत्रांक-2199/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

के द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की सुनवाई दिनांक 7 जनवरी, 2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न् निर्धारित करते हुए प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी को निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर सरकारी पक्ष रखने का निदेश दिया गया । परन्तु श्री शफीक आलम प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी उपस्थित नहीं हुए ।

(ङ) पुनः निदेशक, लेखा प्रशासन-सह-संचालन पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ने पत्रांक-123/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 17 जनवरी, 2014 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की सुनवाई दिनांक 18 जनवरी, 2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न् निर्धारित करते हुए प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी को निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर सरकारी पक्ष रखने का निदेश दिया गया । परन्तु श्री शफीक आलम प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी उपस्थित नहीं हुए ।

(च) पुनः निदेशक, लेखा प्रशासन-सह-संचालन पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ने पत्रांक-141/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 20 जनवरी, 2014 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की सुनवाई दिनांक 22 जनवरी, 2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न् निर्धारित करते हुए प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी को निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर सरकारी पक्ष रखने का निदेश दिया गया । परन्तु श्री शफीक आलम प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी उपस्थित नहीं हुए ।

(छ) पुनः निदेशक, लेखा प्रशासन-सह-संचालन पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ने पत्रांक-187/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 24 जनवरी, 2014 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की सुनवाई दिनांक 6 फरवरी, 2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न् निर्धारित करते हुए प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी को निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर सरकारी पक्ष रखने का निदेश दिया गया । परन्तु श्री शफीक आलम प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी उपस्थित नहीं हुए ।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री शफीक आलम प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी के द्वारा जानबूझकर श्री प्रमोद कुमार झा, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता , ठाकुरगंगटी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रतिकूल कार्य किया गया तथा श्री झा आरोप मुक्त हो गये और बिना साक्ष्य के श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त हो गयी । स्पष्टतः श्री शफीक आलम, तत्कालीन प्र०वि०पदा०, ठाकुरगंगटी के द्वारा षडयंत्र के तहत् सरकारी

राशि के दुर्विनियोग हेतु श्री प्रमोद कुमार झा, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता, ठाकुरगंगटी को सहयोग किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए श्री आलम से विभागीय पत्रांक-9084, दिनांक 9 सितम्बर, 2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-648/वि०, दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री आलम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:-

(क) विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी का पत्र इनके कार्यालय को प्राप्त नहीं हो पाया था, और न ही इस संबंध में कुछ सूचना प्राप्त थी, इसलिए उपस्थित नहीं हो सके ।

(ख) सुनवाई की तिथि दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को निर्धारित किया गया था, परन्तु दिनांक 13 नवम्बर, 2013 को उपायुक्त महोदय, गोड्डा द्वारा प्रखण्ड कार्यालय का निरीक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित किये जाने के कारण उनसे संबंधित सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी की जा रही थी, इसी कारण उपस्थित नहीं हो सके ।

(ग) प्रखण्ड कार्यालय में आवश्यक कार्य निष्पादन करने में व्यस्त रहने के कारण प्रधान सहायक श्री प्रदीप पासवान को प्रतिनियुक्त कर सभी आवश्यक कागजातों के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया ।

(घ) प्रखण्ड कार्यालय में मंगलवारीय साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक रहने के कारण इनके द्वारा प्रधान सहायक श्री प्रदीप पासवान को प्रतिनियुक्त कर सुनवाई में उपस्थित होने का निदेश दिया गया था ।

(ङ) उक्त तिथि को महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रधान सहायक को सभी वांछित कागजातों के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया था ।

(च) दुर्भाग्य से उक्त तिथि को भी प्रखण्ड में आवश्यक कार्यों को निपटाने के कारण उपस्थित नहीं हो पाया ।

(छ) उक्त तिथि को निर्देश का अनुपालन किया गया है तथा संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए । उपस्थिति आदेश फलक में संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित टिप्पणी से प्रमाणित होता है । संचालन पदाधिकारी के आदेश के आलोक में श्री

प्रमोद कुमार झा के विरूद्ध आरोप से संबंधित निम्न कागजात इनके द्वारा समर्पित किया गया हैः-

(1) श्री झा का सात माह का अनुपस्थित विवरणी जिस प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त के पत्रांक-1774/डी०आर०डी०ए० दिनांक 16 अगस्त, 2013 के द्वारा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को स्पष्टीकरण पूछा गया ।

(2) प्रखण्ड कार्यालय का पत्रांक-659/वि० दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 जिसके द्वारा प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी श्री झा से स्पष्टीकरण पूछा गया था ।

(3) प्रखण्ड कार्यालय का पत्रांक-30, दिनांक 22 जनवरी, 2013 जिसके द्वारा उप विकास आयुक्त, गोड्डा को श्री झा द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने के कारण प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया था ।

(4) प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी द्वारा ससमय कार्य का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रसार पदाधिकारी का प्रभार श्री झा से हटाकर महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती मंजू कुमारी को सौंपा गया था। उक्त आदेश की सूचना प्रखण्ड कार्यालय के पत्रांक-09/ दिनांक 8 जनवरी, 2013 के द्वारा निर्गत की गई है ।

उक्त के अतिरिक्त श्री आलम का यह भी कहना है कि ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में उनके द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2013 को प्रभार ग्रहण किया गया है । श्री झा के विरूद्ध यह मामला पूर्व से ही चला आ रहा है । जिसमें तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अवकाश में रहने के कारण दैनिक कार्यो का प्रभार प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को सौंपा गया था, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी ने श्री झा के पिछले सात माह के अनुपस्थिति विवरणी पद हस्ताक्षर कर संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया। उपायुक्त महोदय द्वारा संबंधित मामला को संज्ञान में लेते हुए स्पष्टीकरण पूछा है ।

उप विकास आयुक्त के अर्द्ध सरकारी पत्र सं०-1783, दिनांक 9 अक्टूबर, 2013 द्वारा श्री झा के अनुपस्थिति विवरणी पर मंतव्य के साथ प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जिसे प्रखण्ड कार्यालय के पत्रांक-562/वि०दिनांक 21 नवम्बर, 2013 द्वारा उनके मंतव्य सहित भेजा गया ।

उप विकास आयुक्त का पत्रांक-1787, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 का अनुपालन करते हुए श्री प्रमोद कुमार झा बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य से संबंधित शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय राँची में उनके द्वारा ही दाखिल किया गया है ।

उपायुक्त के पत्रांक-1477/डी०आर०डी०ए० दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा श्री झा के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसका अविलम्ब अनुपालन करते हुए प्रखण्ड कार्यालय के पत्रांक-406/वि०, दिनांक 23 अगस्त, 2013 के द्वारा प्रपत्र- 'क' उनके द्वारा भेजा गया था ।

विभागीय पत्रांक-10763, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से श्री आलम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी एवं स्मारित भी किया गया, जिसके अनुपालन में उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-671, दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा आरोपवार मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान तथा उपायुक्त, गोड्डा के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया है कि संचालित विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में श्री आलम केवल दिनांक 6 फरवरी, 2014 को उपस्थित हुए । इसके अतिरिक्त पूर्व की छः तिथियों को न तो वे उपस्थित हुए थे और न ही उनके द्वारा प्राधिकृत प्रधान सहायक । स्पष्टतः श्री आलम द्वारा लापरवाही तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना इनके आचरण से परिलक्षित होता है ।

समीक्षोपरान्त, उक्त आरोपों हेतु श्री आलम की सेवा-सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त करने की तिथि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 582—50 ।